मैसर्स ईओएन खराडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड-चरण- I एसईजेड, खराड़ी, पुणे, के आईटी-आईटीईएस सेक्टर के विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास आयुक्त सीप्ज़-एसईजेड, मुंबई की अध्यक्षता में 21.03.2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की 126 वीं बैठक का विवरण।		
1	एसईजेड का नाम	मैसर्स.ईओएन खराडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड-एसईजेड, चरण I
2	क्षेत्र	आईटी/आईटीईएस
3	मीटिंग नं	**126** वी
4	तारीख	**21.03.2025**

उपस्थित सदस्य:

क्र.	नाम और पदनाम (एस/श्री.)	विभाग
1	श्रीमती मितल हिरेमठ संयुक्त विकास आयुक्त	पुणे क्लस्टर एसईजेड, पुणे
2	श्री संजय बांगर,उप निदेशक उद्योग	महाराष्ट्र सरकार से नामित
3.	श्रीमती अर्चना परब सहायक आयुक्त, आयकर विभाग	आयकर विभाग से नामित
4.	श्री कार्तिकेय लंगोटे, उप-क्षेत्रीय अधिकारी	महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नामित
5.	श्रीमती पुष्पा गंगावणे, एफटीडीओ	पुणे डीजीएफटी विभाग से नामित
6	श्री धवल एस शिर्के, अधीक्षक	सीमा शुल्क विभाग पुणे नामित

विशेष आमंत्रित :

क्र.	नाम एवं पदनाम(श्री/ श्रीमती)	विभाग
1	श्री. शम्भू दयाल मीना, विनिर्दिष्ट अधिकारी	सीप्ज़-एसईज़ेड, पुणे क्लस्टर

एजेंडा आइटम नंबर 01: दिनांक 21.02.2025 को आयोजित 125 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि
विचारविमर्श के बाद, समिति ने 21.02.2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की 125 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

एजेंडा आइटम नंबर 02: 21.02.2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट।
विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 21.02.2025 को आयोजित बैठक के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट नोट की है।

एजेंडा आइटम नंबर 03: मेसर्स एलटीआईमाइंडट्री लिमिटेड के प्रदर्शन की निगरानी
विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 54 के संदर्भ में, पहली ब्लॉक अवधि के पहले 2 वर्षों यानी वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया। जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

- यूनिट ने प्रथम ब्लॉक अवधि के पहले 2 वर्षों यानी 2022-23 और 2023-24 में 59.88 करोड़ रुपये के अनुमानित निर्यात के मुकाबले 15.79 करोड़ रुपये का निर्यात हासिल किया है और संचयी आधार 15.20 करोड़ रुपये का सकारात्मक एनएफई हासिल किया है जो 96.44% है ।

- यूनिट ने प्रथम ब्लॉक अवधि में अनुमानित रोजगार 450 के मुकाबले 274 कर्मचारियों (पुरुष-171, महिला-103) का रोजगार हासिल किया है।

एजेंडा आइटम नंबर 04: मेसर्स एमफैसिस लिमिटेड के प्रदर्शन की निगरानी
विचार-विमर्श के बाद समिति ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के संदर्भ में 3 ब्लॉक अवधियों यानी वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है।

- दूसरे ब्लॉक अवधि का अंतिम वर्ष यानी वित्त वर्ष 2017-18
- तीसरे ब्लॉक अवधि के 5 वर्ष यानी वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23
- चौथे ब्लॉक अवधि का पहला वर्ष यानी वित्त वर्ष 2023-24

एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार नीचे विस्तार से बताया गया है

- यूनिट ने 468.51 करोड़ रुपये के अनुमानित निर्यात के मुकाबले 338.26 करोड़ रुपये का निर्यात हासिल किया है और 1444.05 करोड़ रुपये का सकारात्मक एनएफई हासिल किया है, जो कि द्वितीय ब्लॉक अवधि के 5वें वर्ष यानी वित्त वर्ष 2017-18 में संचयी आधार पर 97.11% है।
- यूनिट ने 1953.63 करोड़ रुपये के अनुमानित निर्यात के मुकाबले 3284.61 करोड़ रुपये का निर्यात हासिल किया है और 3260.05 करोड़ रुपये का सकारात्मक एनएफई हासिल किया है, जो तीसरे ब्लॉक अवधि यानी वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 के 5 वर्षों में संचयी आधार पर 99.25% है।
- यूनिट ने 800.00 करोड़ रुपये के अनुमानित निर्यात के मुकाबले 1218.71 करोड़ रुपये का निर्यात राजस्व हासिल किया है और 1210.03 करोड़ रुपये का सकारात्मक एनएफई हासिल किया है, जो चौथे ब्लॉक अवधि के पहले वर्ष यानी वित्त वर्ष 2023-24 में संचयी आधार पर 99.29% है।
- यूनिट ने 4200 के अनुमानित रोजगार के मुकाबले 2899 कर्मचारियों (पुरुष-1875 महिला-1024) को रोजगार हासिल किया है।
- यूनिट को सही परिशोधन मूल्य और एनएफई को अद्यतन करने के लिए वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए अपने एपीआर को संशोधित का निर्देश दिया। है।
- समिति ने पाया कि इकाई ने भारतीय रुपये में प्राप्त भुगतान के आधार पर डीटीए में सेवाएं प्रदान की हैं , जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	डीटीए बिक्री रुपये में करोड़
2017-18	19.45
2018-19	24.66
2019-20	8.69
2020-21	7.62
2021-22	6.77
2022-23	4.39
2023-24	9.31
कुल	**80.88**

- चूंकि भारतीय रुपये के बदले डीटीए में सेवाएं प्रदान करना एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 2(जेड) में दी गई परिभाषा के अनुसार सेवाओं के रूप में योग्य नहीं है, इसलिए यूनिट ने एसईजेड अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और इसलिए समिति ने विचार-विमर्श के बाद इकाई के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने और एसईजेड अधिनियम /नियमों के विभिन्न प्रावधानों और विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 के तहत उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

एजेंडा आइटम नंबर 05: मेसर्स कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निदेशक मंडल में परिवर्तन के अनुमोदन के लिए आवेदन ।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एमओसीआई द्वारा जारी दिनांक 18.10.2021 के निर्देश संख्या 109 के अनुसार निदेशक मंडल में परिवर्तन के लिए यूनिट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक मंडल की अनुमोदित सूची:

क्रमांक	निदेशकों का नाम	पद का नाम	अपॉइंटमेंट की तिथि
1	श्री राजेश वारियर	सीएमडी	10.09.2024
2	श्री मनीष सिंघवी	सीएफओ और पूर्णकालिक निदेशक	13.12.2024
3	श्री नारायणन टी	पूर्णकालिक निदेशक	27.09.2019

यह अनुमोदन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 में निर्धारित शर्तों के अधीन है।

एजेंडा आइटम नंबर 06: मेसर्स टिएटोवेरी फिनटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निदेशक मंडल में परिवर्तन के अनुमोदन के लिए आवेदन ।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एमओसीआई द्वारा जारी दिनांक 18.10.2021 के निर्देश संख्या 109 के अनुसार निदेशक मंडल में परिवर्तन के लिए यूनिट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक मंडल की अनुमोदित सूची:

क्रमांक	निदेशकों का नाम	पद का नाम	अपॉइंटमेंट की तिथि
1	अश्वनी बत्रा	निदेशक	14/12/2022
2.	पासी कालेवी मौनो	निदेशक	22/08/2023
3.	अविनाश अजीत देशपांडे	निदेशक	21/11/2024

यह अनुमोदन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 में निर्धारित शर्तों के अधीन है।

एजेंडा आइटम नंबर 07: : मेसर्स क्रेडिट सुइस सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नाम में परिवर्तन की मंजूरी, निदेशकों की प्रस्तावित सूची के लिए आवेदन

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने MOC&I द्वारा जारी निर्देश 109 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार, यूनिट का नाम में परिवर्तन और निदेशकों की सूची के प्रस्ताव को निम्नानुसार मंजूरी दे दी:

यूनिट का पिछला नाम	यूनिट का नया नाम
मेसर्स क्रेडिट सुइस सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	मेसर्स यूबीएस बिजनेस सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

निदेशकों की प्रस्तावित सूची नीचे दी गई है।

निदेशक मंडल की अनुमोदित सूची:

क्रमांक	निदेशकों का नाम	पद का नाम	दीन क्रमांक
1	हेराल्ड होर्स्ट एगर	निदेशक	08089849
2.	विशांक पटेल	निदेशक	08513882
3.	अनुभव अग्रवाल	निदेशक	06711041
4.	सेरेना फ्रे टिएसेन	निदेशक	08633796
5.	मथायस शैक	निदेशक	09664269

यह अनुमोदन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 में निर्धारित शर्तों के अधीन है। एनसीएलटी के आदेश के अनुसार, उपरोक्त परिवर्तन 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

Minutes of the 126th Meeting of the Approval Committee held under the Chairmanship of Zonal Development Commissioner SEEPZ-SEZ, Mumbai for Sector Specific Special Economic Zone for IT/ITES of M/s. EON Kharadi Infrastructure Pvt. Ltd.–Phase-I SEZ, Kharadi, Pune, held on 21.03.2025		
1	Name of the SEZ	**M/s. EON Kharadi Infrastructure Pvt. Ltd.-SEZ, Phase I**
2	Sector	IT/ITES
3	Meeting No.	**126th Meeting**
4	Date	**21.03.2025**

Members present:

Sr No.	Name and Designation(S/Shri.)	Department
1	Smt. Mital Hiremath Joint Development Commissioner	Pune Cluster SEZ, Pune
2	Shri. Sanjay Bangar Deputy Director of Industries, Pune Region	Nominee of Govt. of Maharashtra

3	Smt. Archana Parab, Asst. Commissioner, IT	Nominee of Income Tax, Pune
4	Kartikeya Langote, Sub-Regional Officer	Maharashtra Pollution Control Board.
5	Smt. Pushpa Gangawane. FTDO	Nominee of DGFT, Pune
6	Shri. Dhaval Shirke, Superintendent	Nominee of Customs, Pune

Special Invitee:

Sr	Name and Designation	Department
1	Shri. Shambhu Dayal Meena Specified Officer	SEEPZ-SEZ, Pune Cluster

Agenda Item No.01: Confirmation of the Minutes of the 125th meeting held on 21.02.2025

After deliberation, the Committee confirmed the minutes of the 125th meeting of Approval Committee held on 21.02.2025.

Agenda Item No.02: Action taken report for the minutes of the meeting held on 21.02.2025.
After deliberation, the Committee has noted the Action taken report for the meeting held on 21.02.2025.
Agenda Item No.03: Monitoring of Performance for M/s. LTIMindtree Limited

After deliberation, the committee noted the performance of the unit for first 2 years of 1st Block period i.e. FY 2022-23 and 2023-24., in terms of Rule 54 of SEZ Rules, 2006. As detailed below:

- The Unit has achieved export revenue of **Rs. 15.79 Crores** as against projected export of **Rs. 59.88 Crores** and achieved cumulative NFE of Rs. 15.20 Crores which is 96.44 % in first 2 years of 1st block period i.e. 2022-23 and 2023-24.
- The unit has achieved employment of **274** employees (Men-171,Women-103) against the projected employment of **450**

Agenda Item No.04: Monitoring of Performance for M/s. Mphasis Limited
After deliberation, the committee noted the performance of the unit for 3 Block Periods i.e. FY 2017-18 to FY 2023-24. in terms of Rule 54 of SEZ Rules, 2006. As detailed below:

- Last year of 2nd Block Period i.e. FY 2017-18
- 5 years of 3rd Block Period from FY 2018-19 to FY 2022-23
- First year of 4th Block Period i.e. FY 2023-24

- The Unit has achieved export revenue of **Rs. 338.26 Crores** as against the projected export of **Rs. 468.51 Crores** and achieved positive NFE of **Rs. 1444.05 Crores** which is 97.11 % on cumulative basis in 5th Year of 2nd Block Period i.e. FY 2017-18.
- The Unit has achieved export revenue of **Rs.3284.61 Crores** as against the projected export of **Rs. 1953.63 Crores** and achieved positive NFE of **Rs. 3260.05 Crores** which is 99.25% on cumulative basis in 5 years of 3rd Block Period i.e. FY 2018-19 To 2022-23.
- The Unit has achieved export revenue of **Rs. 1218.71 Crores** as against the projected export of **Rs. 800.00 Crores** and achieved positive NFE of **Rs. 1210.03 Crores** which is 99.29% on cumulative basis in 1st year of 4th Block Period i.e. FY 2023-24.
- The unit has achieved employment of **2899** employees (Men-1875, Women-1024) against the projected employment of 4200.
- The unit is directed to revise its APR for the period FY 2017-18 to FY 2022-23 to update the correct amortized value and net foreign exchange earnings.

- The Committee observed that the unit has provided services in DTA against the payments received in INR as detailed below:

F.Y.	DTA Sale in INR in Cr
2017-18	19.45
2018-19	24.66
2019-20	8.69
2020-21	7.62
2021-22	6.77
2022-23	4.39
2023-24	9.31
Total	**80.88**

- Since providing of "Services" in DTA against INR does not qualify as 'Services' as per definition given in Section 2(z) of the SEZ Act, 2005, Unit has violated the provisions of SEZ Act & Rules and hence Committee after deliberation, directed to initiate action against the unit and to issue Show Cause Notice for violation of various provision of SEZ Act / Rules and under Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.

Agenda Item No.05: Application for approval of change in board of directors submitted by M/s. Cognizant Technology Solutions India Pvt. Ltd.
After deliberation, the committee approved the proposal of the unit for change in Board of Directors, in terms of Instruction No. 109 dated 18.10.2021 issued by MOCI, as detailed below:

Approved List of Board of Directors:

Sr. No	Name of Directors	Designation	Date of Appointment
1	Mr. Rajesh Varrier	CMD	**10.09.2024**
2	Mr. Manish Singhvi	CFO & Whole Time Director	**13.12.2024**
3	Mr. Narayanan T	Whole Time Director	**27.09.2019**

The approval is subject to the conditions laid down in Instruction No. 109 issued by MOC&I.

Agenda Item No.06: Application for approval of change in board of directors submitted by M/s. Tietoevry Fintech India Pvt. Ltd.
After deliberation, the committee approved the proposal of the unit for change in Board of Directors, in terms of Instruction No. 109 dated 18.10.2021 issued by MOCI, as detailed below:

Approved List of Board of Directors:

Sr. No	Name of the Directors	Designation	Date of Appointment
1	Ashwani Batra	Director	14/12/2022
2.	Pasi Kalevi Mauno	Director	22/08/2023
3.	Avinash Ajit Deshpande	Director	21/11/2024

The approval is subject to the conditions laid down in Instruction No. 109 issued by MOC&I.

Agenda Item No.07: Application for approval of Change in Name and Proposed List of Directors Submitted by M/s. Credit Suisse Services (India) Pvt. Ltd.
After deliberation, the Committee approved the proposal for Change in Name of the Company and list of Directors in terms of Instruction No. 109 dated 18.10.2021 as detailed below:

Previous Name of the Unit	New Name of the Unit
M/s. Credit Suisse Services (India) Pvt. Ltd	M/s. UBS Business Solutions (India) Pvt. Ltd.

Approved List of Directors:

Sr. No	Name	Designation	DIN
1	Harald Horst Egger	Director	08089849
2	Vishank Patel	Director	08513882
3	Anubhav Agarwal	Director	06711041
4	Seraina Frey Tiessen	Director	08633796
5	Matthias Schacke	Director	09664269

The approval is subject to the conditions laid down in Instruction No. 109 issued by MOC&I. As per the NCLT order above changes will be effective from 1st April 2025.

Meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

(ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आईएएस)
(Dnyaneshwar B. Patil, IAS)
अध्यक्ष एवं विकास आयुक्त
Chairman-cum- Development Commissioner

Digitally signed by Dnyaneshwar Bhalchandra Patil
Date: 2025.03.28 15:11:27 IST